रैयती में Annex - 5(1)

अनुसूची 21-प्रपत्र सं० 113 सीमांचल माईनोरिटी बी० एड० कॉलेज

संपत्ति-अवभार प्रमाण पत्र Tauheed. Nagar Madhepura

प्रमाण-पत्र, सं० 1394 2011

29.12.12

आवेदन सं० कटिहार

चूंकि श्री मो० इफ्तखार आलम ने मेरे नाम आवेदन किया है जो निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निर्दिष्ट संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय,

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उसे संबंधित अनुक्रमणियों में ता० 1982 ...20.... से ता० 2012 आज तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है- बंधन भार मुक्त पाया

क्रम संख्या	संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मौजा रहटनीया	खाता 100.	थाना 11	खेसरा 18.	रकबा 65 Decimal.			

Chairman
Simanchal Minority B.ed. College
Tauheednager. Katihar

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक-पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर) : Anil Bore

(पदनाम) :- clerk

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जांच निम्न व्यक्तियों ने की :

(हस्ताक्षर) :- [illegible]

(पदनाम) :- clerk

कार्यालय : Katihar

तारीख : 29/12/22

मोहर

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।
29/12/22

टिप्पणी : इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गए हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों का निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है तो ऐसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा [illegible] संपत्ति [illegible] अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। [illegible] फीस का भुगतान [illegible] आवेदन रद्द की जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की [illegible], इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने [illegible] से की है फिर भी, विभाग प्रमाण पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक में अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है इसलिए विभाग आवेदक द्वारा नहीं ढूंढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता है।

29/12/22

सीमांचल माइनोरिटी बी० एड कॉलेज तौहीद नगर बेलवा रोड कटिहार

Annex-5(2)

अनुसूची 21-प्रपत्र सं० 113

संपत्ति-अवभार-प्रमाण पत्र

प्रमाण-पत्र, सं० 576/2016 /2016 आवेदन सं०.................

चूंकि श्री मो० इस्माइल अहमद पिता हाजी मो० नसीर उद्दीन ग्राम-रामपुर ये मेरे नाम आवेदन किया है जो निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय, कटिहार पूरा कागजात इसीन
(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही 1 में और उसे संबंधित अनुक्रमणियों में ता० 1987 20.... से ता० आज तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है- भार मुक्त

क्रम संख्या	संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्ठि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मौजा रहटिया	थाना 100	खाता 11	खेसरा 18	रकबा 25 डिसमिल			

Chairman
Simanchal Minority B.Ed. College
Tauheednagar, Katihar

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
(ख) 1. बंधक-पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे : उल्लेख हो।
2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :- [illegible]

(पदनाम) :- [illegible]

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की:-

(हस्ताक्षर) :- [illegible]

(पदनाम) :- 9/6/16.

कार्यालय :- जिला अवर निबंधन कार्यालय कटिहार

तारीख :- 9-6-16

कार्यालय जिला निबंधक कटिहार

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।
9-6-16
निबंधन पदाधिकारी
कटिहार

टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों का निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्सन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा की उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने रित्क सावधानी से की है फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है इसलिए विभाग आवेदक द्वारा नहीं ढूंढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नह होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता है।

[illegible] 25 [illegible] 28-5-16 [illegible] 275 कटिहार [illegible]

निबंधन पदाधिकारी
कटिहार

9-6